

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प.5(5)ऐके/कार्डियो/जेएमसीएस/2020/पार्ट
निदेशक,
राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी,
जयपुर (राज.)।

जयपुर, दिनांक:

29 JUN 2022

विषय:- बजट घोषणा संख्या 16 (वर्ष 2022-23) की क्रियान्विति में झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशियलिटी सुविधाएं प्रारंभ किये जाने हेतु नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति।
संदर्भ:- चिकित्सा महाविद्यालय, झालावाड़ का पत्र क्रमांक 862-864 दिनांक 07.04.2022

महोदय,

उक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि बजट घोषणा संख्या 16 (वर्ष 2022-23) की क्रियान्विति में झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशियलिटी सुविधाएं प्रारंभ किये जाने हेतु निम्नांकित नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

विभाग	आचार्य	सह आचार्य	सहायक आचार्य	सीनियर रेजिडेंट	कुल
न्यूरोलोजी	01	01	02	02	06
यूरोलोजी	01	01	02	02	06
कार्डियोलोजी	01	01	02	02	06
गेस्ट्रोएन्ट्रोलोजी	01	01	02	02	06
कुल	04	04	08	08	24

शर्त:-

- उपर्युक्त पदों का वेतन, निर्धारित योग्यता एवं भरने की प्रक्रिया RAJMES Jaipur के Employment Rules (Recruitment and Other Conditions) 2017 के अध्याधीन, तत्संबंधी नियमों एवं नियत प्रक्रिया की पूर्ण पालना की जावें।
- सोसायटी के Rules & Regulations (सेवानियम) के आधार पर ही पदों पर भर्ती की प्रक्रिया का निर्धारण/प्रारंभ इस प्रकार से किया जावे कि आवश्यक पदों हेतु कार्मिक सुपरस्पेशियलिटी हेतु आवश्यक उपकरण एवं ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध होने पर ही, नियुक्त किये जा सकते हैं ताकि बिना कार्य निष्पादन के भुगतान/अनावश्यक निष्फल व्यय RAJMES को वहन नहीं करना पड़े।

भवदीय

(इकबाल खान)

शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक/लेखा परीक्षा-1), राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
- शासन संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय-1/बजट/आयोजना) विभाग।
- डीन चिकित्सा महाविद्यालय, झालावाड़।
- वित्तीय सलाहकार, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग।
- संयुक्त निदेशक (आयोजना), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग।
- नोडल ऑफिसर, वेबसाइट, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग।
- जन संपर्क अधिकारी, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग।
- रक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सोनी)
शासन उप सचिव

